APP-A
Crim-I

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत A.C.G.M. ([illegible]) मुकाम नगर [illegible] कैम्प.

रामेश्वरी किरोड़ी पि० रामचंद बनाम राजस्थान सरकार तहसीलदार नगर.

नम्बरी मुकदमा [illegible] नं. 2/17 सन ...

88-89 RTAct.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.17	प्रार्थी रामेश्वरी व किरोड़ी पिसर रामचंद ने यह प्रार्थना राजस्थान लोक कल्याण अभियान [illegible] 2017 कैम्प कामां में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कामां तह. नगर की शामिल ख. नं. 575 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा को प्रार्थीगण के पूर्वजों मनोहरलाल, रामचंद, भजनलाल पिसर नारान [illegible] ने बयनामा दिनांक 5 जून 1972 को क्रय किया था, जिसका दौराने भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल ख. नं. 567/0.50 बनाया गया तथा राजस्व रिकार्ड में मनोहरलाल वगै० पिसर नूरायन दर्ज हो गया तथा सं. 2041-44 की जमाबंदी की तहरीर करते समय मनोहरलाल वगै० पिसर चूरामन दर्ज हो गया जो गलत है जिससे प्रार्थी० को भारी हानि हो रही है। अंत में निवेदन किया है कि मुताबिक बयनामा मनोहरलाल रामचन्दर, भजनलाल पिसर चूरामन के स्थान पर मनोहर लाल, रामचंद, भजनलाल पिसर नारान दुरुस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नगर से जांच रिपोर्ट [illegible] जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि [illegible] विभाग द्वारा बयनामा [illegible] क्रेताओं व पत्र (नामा) भरा गया है उसमें क्रेताओं [illegible] है, परन्तु उनके पिता का नाम नहीं [illegible] है। ~~[illegible]~~ भू प्रबंध विभाग तैयार किये गये मिसल बन्दोबस्त (जमा०) में क्रेताओं के पिता का नाम नारान के बजाय नूरायन दर्ज कर नाम नारान के बजाय नूरायन दर्ज कर किया गया है जो नूरायन के स्थान पर नारान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 17:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मैं जारी
	शुद्ध किया जाना उचित है। हमने पत्रावली के प्रार्थना-पत्र-रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बतौर दावा 88-89 R.T.A. दर्ज किया जावे। मुताबिक बयनामा दि० 5.6.72 की फोटो प्रति से साबिक ख० नं० 575 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम कंजहार मूलीमल वल्द जेठामल कौम खत्री साकिन ग्राम कंजहार तह-नगर मनोहर लाल, रामचन्द्र व भजन लाल पिसरान नारान के हिस्सा बराबर क्रय किया जाना साबित होता है। नकल खसरा परिशोधन पत्र साबिक ख० नं० 575 से हाल ख० नं० 567 बनाया जाना साबित है तथा खाता नं० 6 नाम कृषक में मनोहर लाल व रामचन्द्र भजन लाल पिसरान नारान के हिस्सा बराबर कौम माली सा० डेह खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी की बाबत ख० नं० $\frac{534}{0.83}$ $\frac{567}{0.50}$ की बाबत सं० 2036 वाके ग्राम कंजहार में " मनोहरलाल, रामचन्द्र व भजन लाल पि० नारान कौम माली सा० डेह समभाग खातेदार" दर्ज है। नकल जमाबंदी सं० 2045-48 के खाता नं० 232 पर कि भी की बाबत " मनोहर लाल रामचन्द्र, भजन लाल पिसरान नारान कौम माली साकिन डेह बहिस्सा बराबर खातेदार" दर्ज है, तथा नकल जमाबंदी सं० 2049-52, 2053-56, 2057-60, 2061-64, 2065-68, 2069-72 में भी ख० नं० $\frac{534}{0.83}$, $\frac{567}{0.50}$ के बाबत यही इन्द्राज होना पाया जाता है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार साबिक रिकार्ड के अनुसार वादी के दर्ज का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि — दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। अतः ख० नं० $\frac{534}{0.83}$, $\frac{567}{0.50}$ [illegible] में मनोहर लाल रामचंद्र भजनलाल [illegible] साबिक रिकार्ड के अनुसार [illegible] लाल पि० नारान कौम [illegible] की इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 12/3/17 (लीकन लाल मीना) लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible] कलक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 17:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner